

**RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED**

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur**Registered Office Cum Rest House**
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.**E-TENDER NO. RSMM /CO/GGM (CONT)/Cont-02/23-24 dated 05.04.2023**

रजिस्टर्ड कार्यालय कम रेस्ट हाउस जयपुर पर कैंटीन संचालन हेतु दो

(02) कुक के साथ कर्मचारियों/अधिकारियों/अतिथियों के लिए

निविदानुसार चाय, नाश्ता, भोजन उपलब्ध करवाने के लिये ई निविदा

प्रपत्र

ऑनलाईन डाउनलोड : दिनांक 06.04.2023 से
करने की तिथि एवं समय 04.05.2023 को अपरान्ह 1.00
बजे तक कार्यालय अवधि में
(अवकाश के अतिरिक्त)

ऑनलाईन निविदा जमा : दिनांक 04.05.2023
कराने की तिथि एवं समय अपरान्ह 3.00 बजे तक

संविदा खुलने की : दिनांक 05.05.2023
तिथी-समय अपरान्ह 3.30 बजे

निविदा प्रपत्र का मूल्य : रु.590/- (जीएसटी सहित)



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

E-TENDER NO. RSMM /CO/GGM (CONT)/Cont-02/23-24 dated 05.04.2023

ई निविदा सूचना

अनुभव एवं सक्षम ठेकेदारों से ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में आमन्त्रित है, जो कि <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से भरी जावेगी। कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण	धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि एवं न्यूनतम मासिक परिचालन
रजिस्टर्ड आफिस कम रेस्ट हाउस जयपुर में कार्यरत कर्मचारियों हेतु चाय काफी, एवं रेस्ट हाउस में आने वाले आने वाले अतिथियों के लिए चाय काफी, ब्रेक फास्ट, लन्च एवं डिनर बनाने हेतु दो कुक उपलब्ध करवाने के साथ चाय काफी, ब्रेक फास्ट, लन्च एवं डिनर उपलब्ध कराने हेतु रेट कॉन्ट्रैक्ट।	धरोहर राशि – रुपये 28800 / – निविदा प्रपत्र मूल्य – रुपये 590 / –	कार्य अवधि 24 माह
ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क रु. 500 / –		
निविदा ऑनलाईन डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा विक्रय डाउनलोड करने की तिथि दिनांक. 06.04.2023 से 04.05.2023 दोपहर 01.00 बजे तक	
ऑनलाईन जमा कराने की तिथि एवं समय	तिथि 04.05.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे तक	
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 05.05.2023 अपरान्ह 3.30 बजे	
सम्पर्क अधिकारी –	दूरभाष – (0294) 2427177 2428763.67 http://www.rsmm.com	
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें website- www.rsmm.com , sppp.rajasthan.gov.in , www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।		



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्रता

1. निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 7,20,000.00 का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2019-20, 2020-21, 2021-22 में से किसी एक वर्ष में स्वयं नाम से होना आवश्यक है।
2. निविदाकर्ता के पास कम से कम एक राजकीय विभागो/उपक्रमों/संस्थानों में कुक उपलब्ध कराने एवं ब्रेक फास्ट तथा लंच/डिनर कराने का रेट कॉन्ट्रैक्ट होना आवश्यक है।

निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑन-लाइन ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/कम्पनी/संस्था को निविदाएं दो अलग-अलग भागों में तकनीकी/वाणिज्यिक भाग व अहस्तान्तरणीय मूल्य/दर भाग में ऑन-लाइन ही प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त निविदाओं के प्रथम भाग (तकनीकी वाणिज्यिक भाग) को उपरोक्तानुसार तिथि को इच्छुक उपस्थित निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे ऑन-लाइन संस्थान के, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर में खोली जायेगी। प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है। फैंक्स द्वारा भिजवाई गई निविदायें मान्य नहीं होगी।

जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रमुख (अनुबन्ध)



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

अनुभाग-प्रथम

1.00 परिभाषा

इस निविदा में दिये गये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है :

- 1.1 "आरएसएमएमएल" या कंपनी का अर्थ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से है जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-89-90, लाल कोठी स्कीम, जयपुर-302015, राजस्थान है और कारपोरेट कार्यालय 4-मीरा मार्ग, उदयपुर-राजस्थान है। अनुबन्ध के उद्देश्य से कार्यालय में अधिकृत प्रतिनिधी या assignees या उत्तराधिकारी को भी कंपनी की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है ।
- 1.2 अनुबंधकर्ता : अनुबंध के अन्तर्गत व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म अथवा कंपनी जिसका टेण्डर कंपनी ने स्वीकृत कर लिया है और अनुबंधकर्ता की परिभाषा में अनुबंधकर्ता के वैधानिक प्रतिनिधि, प्रशासक, उत्तराधिकारी और एकजीक्यूटर को भी सम्मिलित किया गया है ।
- 1.3 वैधानिक दायित्व : खान/कार्य क्षेत्र से संबंधित मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत आने वाले वैधानिक दायित्वों से है ।
- 1.4 स्वीकृति का अर्थ है कम्पनी/इन्जिनियर इन्चार्ज/ओआईसी द्वारा लिखित में अनुमोदन करने से है ।
- 1.5 प्राधिकरण अधिकारी : प्राधिकरण अधिकारी से तात्पर्य कंपनी के प्रबंध संचालक से है ।
- 1.6 प्रबंध संचालक : प्रबंध संचालक का अर्थ है आरएसएमएमएल के प्रबंध संचालक से है ।
- 1.7 अनुबंध : अनुबंध का अर्थ है कार्य को निष्पादित करने हेतु कंपनी और अनुबंधकर्ता के मध्य हुए एग्रीमेन्ट से है । इसमें सारे दस्तावेज जैसे अनुबंधकर्ता को आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्र, अनुबंधकर्ता को दिये गये निर्देश, अनुबंध की सामान्य स्थिति, अनुबंध की विशेष स्थिति, कार्यक्षेत्र, सामान्य आवश्यकताएँ, कार्यावधि, कार्यादेश जारी करने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट, टेलीग्राम, टेलेक्स आदि को भी सम्मिलित किया गया है ।
- 1.8 अनुबन्ध दर व अनुसूची दर व निविदा दर व पारिश्रमिक की दर : का अर्थ निविदादाता द्वारा निविदा में वर्णित शब्दों और अंकों में भरी गई दर से है और जिसे कंपनी ने अनुबंध और अनुबन्ध में आने वाले सभी दायित्वों का अनुबन्धकर्ता के द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत किया है ।
- 1.9 आफिसर इन्चार्ज का अर्थ : कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन और समय-समय पर, इस कार्य हेतु प्रशासन करेगा, से है ।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

- 1.10 समूह महा प्रबन्धक (संविदा) : का अर्थ है आरएसएमएमएल संविदा विभाग के समूह महा प्रबंधक संविदा/ प्रमुख (अनुबन्ध) से या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में समूह महा प्रबंधक – संविदा का उत्तराधिकारी हो को शामिल किया गया है ।
- 1.11 उप प्रबंधक (रजिस्टर्ड कार्यालय) : का अर्थ है उप प्रबंधक (रजिस्टर्ड कार्यालय) आरएसएमएमएल या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में उप प्रबंधक (रजिस्टर्ड कार्यालय) का उत्तराधिकारी हो को शामिल किया गया है ।
- 1.12 LOA /DLOA : से तात्पर्य निविदादाता को लेटर/ टेलीग्राम/ टेलेक्स/फेक्स द्वारा सूचना देने से है, कि निविदादाता की निविदा कंपनी द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । यह स्वीकृति लेटर/टेलेक्स/फेक्स में दिये गये प्रावधान अनुसार है ।
- 1.13 लिखित सूचना : जो या तो टाईप कराकर या मुद्रित कराकर पंजीकृत डाक द्वारा निविदादाता के अन्तिम ज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पते पर रजिस्टर्ड/हेड/लोकल ऑफिस के पते पर भेजने से है ।
- 1.14 साईट का अर्थ भूमि या अन्य स्थान से हैं, जहाँ निविदादाता को कंपनी द्वारा दिया गया कार्य, कार्यादेश अनुसार करने से है ।
- 1.15 टेण्डर : NIT की एवज में निविदादाता द्वारा दी गई निविदा, बाद में किये गये विचार विमर्श, वार्तालाप, जो कंपनी और निविदादाता के बीच में हुआ है को सम्मिलित किया जायेगा ।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

अनुभाग – द्वितीय

1.0 निविदाकर्ता के लिए सामान्य शर्तें एवं निर्देश :

- i. निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑन-लाइन ही प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- ii. निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- iii. इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई-निविदा पोर्टल पर पंजीकृत कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात ही ई-निविदा को ऑन-लाइन भरने के लिए पात्र होगा।
- iv. इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई-निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई.टी. एक्ट 2000 के प्रावधानों के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है एवं ई-निविदा के सभी दस्तावेज आदि डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे। जिसके बिना उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी।
- v. डाउनलोड किये गये ई-निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा।
- vi. निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउनलोड किया जावेगा।
- vii. निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किया जाना आवश्यक है तत्पश्चात उपरोक्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करना है।
- viii. उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई-निविदा प्रपत्र शुल्क ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा बयाना राशि की स्कैन कॉपी को भी अपने ई-निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है। उपरोक्त तीनों शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्कैन कॉपी अपलोड न करने पर ई-निविदा मान्य नहीं होगी।
- ix. उपरोक्त दो शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पात्रता के अनुसार दोनों वांछित मूल शपथ पत्र को समूह महाप्रबन्ध(अनुबन्ध), कॉरपोरेट कार्यालय, आरएसएमएमएल, उदयपुर को नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व करेगा। इन प्रपत्रों के उपर निविदाकर्ता अपना नाम, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ-साफ अक्षरों में अंकित करेगा। निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- x. ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिए रु. 500/- निर्धारित जो की एमडीआर आई एसएल जयपुर के नाम देय होगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा निर्धारित बनाया राशि डी. डी. आरएसएमएमएल उदयपुर के पक्ष में देय होगी।
- xi. ई-निविदा पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> बोली से सम्बन्धित सभी प्रक्रिया के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। तकनीकी बोली फार्म और मूल्य बोली फार्म डाउनलोड करने के लिए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध हो जायेगा। पंजीकृत बोली दाताओं ई टेण्डर प्रणाली में लोग इन करें और बोली फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- xii. प्रत्येक निविदाकर्ता केवल एक ही निविदा प्रस्तुत करेगा या तो व्यक्तिगत रूप से या एक साझेदारी फर्म या एक निजी रूप/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या एक सहकारी समिति।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

- xiii. निविदाकर्ताओं को अपने स्वयं के हित में निविदा दस्तावेज पूरी तरह से ओर ध्यान से पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है ।
- xiv. निविदाकर्ता द्वारा स्थान एवं परिसर आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आष्वस्त कर लेना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई जानकारी चाहिए तो वरिष्ठ प्रबन्धक (अनुबन्ध) से प्राप्त कर सकते हैं । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जावेगा । इस निविदा के तहत कार्य की दरों के सम्बन्ध में प्राप्त निविदा दरों को ही अन्तिम माना जावेगा एवं निविदा दरों में किसी प्रकार का नेगोसियेशनमान्य नहीं होगा ।
- xv. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सभी प्रावधान इस निविदा पर लागू होते हैं ।
- xvi. कम्पनी देरी, हानि या पोस्ट/कूरियर सेवा के माध्यम से भेजा आवश्यक दस्तावेज न मिलने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है ।

2.0 तकनीकी – वाणिज्यिक निविदा :

तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के रूप में निविदा दस्तावेज में निर्धारित निम्न दस्तावेजों को ऑन लाईन अपलोड किया जाना चाहिए ।

- i. फार्म – अ जिसमें निविदाकर्ता से संबंधित है ।
- ii. तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के साथ सी.ए. प्रमाणित बैलेन्स शीट की कॉपी किसी भी एक वित्तीय वर्ष यथा 19-20, 20-21, 21-22 की होनी आवश्यक है ।
- iii. धरोहर राशि का विवरण निविदाकर्ता के लेटर हेड पर होना चाहिए । धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा ।
- iv. निविदा प्रपत्र के सारे फार्म भरे हुए हों निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर ।
- v. भविष्य निधि खाता संख्या की प्रति फार्म अ के साथ संलग्न करें या अण्डरटेकींग दें एनेक्सर प्रथम के आधार पर ।
- vi. पॉवर ऑफ अटॉर्नी जो अधिकृत प्रतिनिधि के सन्दर्भ में जो निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा ।
- vii. सामाजिक का प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति/मेमोरेन्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, साझेदारी सलेख की सत्यापित प्रतिलिपि भी संलग्न करें ।
- viii. पेनकार्ड, वस्तुतः एवं सेवाकर पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें ।
- ix. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (as per Annexure-II) गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर ।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

3.0 Price Offer/BOQ कार्य की दरें :

- i. कार्य की दरें ऑन-लाईन भरनी है । निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के BOQ फार्म में ही भरें ।
- ii. द्वितीय भाग कार्य की दरें ऑन लाईन निविदा भरने का प्रफॉर्म के अनुसार है । निविदाकर्ता BOQ को वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेगा । किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सैम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जो कि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निषेध है । इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी ।
- iii. निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।
- iv. प्रथम तकनीकी वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जावेगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से सम्बन्धित) खोला जायेगा । सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जायेगा ।
- v. निविदाकर्ता को दर निविदा निर्धारित रूप में देनी पड़ेगी जो दर निविदादाता द्वारा भरी जावेगी उसमें सभी कर ड्यूटीज, शामिल होगी किन्तु वस्तु एवं सेवा कर (GST) शामिल नहीं होगा ।

4.0 निविदा की वैधता : निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा की अवधि 120 दिन के लिए मान्य होगी । इस वैधता अवधि या बढ़ाई गई वैधता अवधि में कोई भी परिवर्तन या संशोधन या निरस्तीकरण निविदा में नहीं किया जा सकेगा । लेकिन अगर निविदादाता ऐसा करता है तो ऐसे निविदादाता की धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा । अगर निविदादाता कार्य को स्वीकार करने या कार्य को निर्धारित समय में नहीं करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि/अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

5.0 धरोहर राशि (Earnest Money):

- 5.1 निर्धारित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चैक, आरएसएमएमएल, उदयपुर के पक्ष में देय हो । यह डीडी/पे ऑर्डर/बैंकर्स चैक तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । धरोहर राशि किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी । बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- 5.2 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।
- 5.3 सफल निविदाकर्ता की प्रार्थना पर धरोहर राशि को अमानत राशि में भी समायोजित किया जा सकता है । असफल निविदाकर्ता जो तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के मूल्यांकन में असफल हो गये हैं, उनकी धरोहर राशि जल्द से जल्द लौटा दी जायेगी । बाकी बचे हुए निविदाकर्ता की धरोहर राशि सफल निविदाकर्ता को LOA/DLOA जारी करने के बाद लौटाई जायेगी ।
- 5.4 बिना धरोहर राशि के निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा । धरोहर राशि अन्य रूपों में जैसे चैक से, बैंक गारन्टी, एफडीआर आदि रूपों में स्वीकार्य नहीं है ।
- 5.5 निम्नलिखित कारणों/दषाओं में धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा :



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

- 1.0 अगर निविदादाता निविदा को, निविदा की वैधता अवधि में संपोषित या निरस्त करता है, तब ।
- 2.0 अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा अमानत राशि जमा नहीं की जाती है।
- 3.0 अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में एग्रीमेंट नहीं किया है, तब ।
- 4.0 अगर निविदादाता द्वारा निविदा में कोई गलत सूचना/गलत दस्तावेज/गलत सत्यापन दस्तावेजों का किया है तो ।
- 5.0 अगर निविदादाता द्वारा समयावधि में कार्य शुरू नहीं किया जाता है या कंपनी द्वारा दिये गये ऑफर को स्वीकार नहीं किया है या स्वीकार करने के बाद निर्धारित समयावधि में कार्य शुरू नहीं किया है तो।

6.0 अमानत राशि (Security Deposit) :

- 6.1 सफल निविदाकार अमानत राशि को एक मुफ्त@RA BILL (Running Account Bill) में कटौती अथवा एफडीआर, आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत जमा करा सकता है। कंपनी की निविदा शर्तों के अनुसार अमानत राशि की दर कुल ठेका राशि की 10 प्रतिशत है, किन्तु वित्त विभाग, राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 के अनुसार अमानत राशि की दर कुल ठेका राशि की 3 प्रतिशत लागू होगी, जो कि दिनांक 31.03.2023 तक मान्य है। अगर राज्य सरकार भविष्य में अमानत राशि की दर में कुछ भी परिवर्तन करती है, तो वह दर इस निविदा पर भी लागू होगी। अंतर की राशि अमानत राशि के पेटे उपरोक्त दर्शाये किसी भी तरीके से तीस दिन के अन्तर्गत कंपनी द्वारा कमउंदक करने पर जमा करानी होगी। यह तीस दिन कंपनी द्वारा कमउंदक करने की दिनांक से गिने जाएंगे।
- 6.2 सफल निविदाकर्ता किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (एसबीआई को छोड़कर)/आईसीआईसीआई/एक्सिस/एचडीएफसी बैंक के जयपुर में अपना शाखा कार्यालय होने से जारी कुल अनुबंध मूल्य के 3 प्रतिशत के बराबर एसडी को फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) से कर सकता है। एफडीआर एसएमएमएल के नाम पर सफल बोलीदाता के खाते में होगी और उसके द्वारा अग्रिम में दी जाएगी। फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद को स्वीकार करने से पहले, यह स्वीकार करना प्राधिकरण सुनिश्चित करेगी की सफल बोलीदाता, सफल बोलीदाता की सहमति के बिना कंपनी को मांग पर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद का भुगतान/समय से पहले भुगतान करने के लिए बैंक से एक उपक्रम प्रस्तुत करता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करने की स्थिति में, फिक्स्ड डिपॉजिट ठेकेदार/उसके द्वारा विरोध किए बिना ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज के साथ जब्त किया जाएगा।
- 6.3 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय सफल निविदाकर्ता, प्रत्येक बिल की राशि से 3 प्रतिशत अमानत राशि के कटौती का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, सफल बोलीदाता की धरोहर राशि की राशि को कुल अमानत राशि तक पहुंचने में समायोजित किया जा सकता है,य या यदि सफल बोलीदाता अमानत राशि की पूरी राशि जमा करता है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।
- 6.4 अमानत राशि को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के छः माह बाद लौटायी जायेगी लेकिन अनुबंधकर्ता को अनुबंध से संबंधित उसके सारे दायित्व पूरे करने होंगे और कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

- 6.5 कंपनी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह पूर्ण या आंशिकतौर पर अमानत राशि को जब्त कर सकती है, तब जब अनुबंधकर्ता या तो अनुबंध के अधीन अपने दायित्व पूरे नहीं करें या कंपनी से संबंधित सभी देयताओं को कंपनी को भुगतान करने में असफल हो।
- 6.6 अगर अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी कारणवश अमानत राशि कम पड़ती है तो अनुबंधकर्ता को अतिरिक्त अमानत राशि जमा करानी पड़ेगी। कंपनी अमानत राशि की पूर्ति अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से भी कर सकती है।
- 6.7 अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7.0 वार्ता (Negotiation) :

- 7.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोसियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम दर निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है। और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर ऑफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L2) तत्पश्चात तृतीय न्यूनतम प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L3) इत्यादि को दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा। जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार (काउन्टर ऑफर) स्वीकार करेगा, उसे कम्पनी द्वारा कार्य आदेश जारी किया जा सकता है।
- 7.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोसियेशन के दौरान दिया गया दर प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
- 7.3 नेगोसियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (Written Authority) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कि यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है।

8.0 न्यूनतम L1 निविदादाता निर्धारित करने का आधार :

- 8.1 कार्य की दर केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की खोली जायेगी, जिनकी निविदा तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से स्वीकार होगी।
- 8.2 न्यूनतम दर का निर्धारण कम्पनी द्वारा निर्धारित दर के ऊपर निविदादाता द्वारा न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर होगा।

9.0 कार्यादेश जारी करना :

सफल निविदादाता को कम्पनी द्वारा स्वयं सूचना दे दी जायेगी कि उसकी निविदा कम्पनी ने स्वीकार कर ली है और उसके बाद सफल निविदादाता को निर्धारित फॉरमेट में कम्पनी के साथ एग्रीमेंट करना होगा। यह सब अनुबंधकर्ता की लागत पर होगा और इसमें निविदा प्रपत्र, कार्यादेश सम्मिलित होगा। एग्रीमेंट का फॉरमेट आरएसएमएमएल द्वारा दिया जायेगा।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

10.0 संस्थान के सुरक्षित अधिकार :

- 10.1 किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, बिना किसी कारण बताये ।
- 10.2 संस्थान निम्नतर दर को स्वीकार करने को बाध नहीं है, बिना कारण दर्शाये ।
- 10.3 संस्थान कार्य की मात्र को आरटीपीपी एक्ट के अनुसार बढ़ाने घटाने का एवं अनुबन्ध अवधि को बढ़ाने घटाने का अधिकार रखती है, बिना किसी अतिरिक्त दायित्व के ।
- 10.4 कार्य के किसी भाग का न कराने का अधिकार रखती है ।
- 10.5 अगर साबित होता है कि निविदादाता ने कोई गलत सूचना दी है या जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तो कम्पनी ऐसे निविदादाता की निविदा को निरस्त करने का अधिकार रखती है । कम्पनी इन अधिकारों का प्रयोग कार्यादेश जारी करने से पूर्व कर सकती है । कम्पनी को इस सन्दर्भ में निविदादाता को सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा ।

11.0 निष्पादन मूल्यांकन करने का अधिकारी :

- 11.1 कम्पनी को यह अधिकार है कि वह अनुबन्ध अवधि में अनुबन्धकर्ता द्वारा किये गये कार्य का निष्पादन मूल्यांकन कर सकती है । अगर यह पाया जाता है कि अनुबन्धकर्ता कार्य को निष्पादित करने हेतु असफल है या उसके द्वारा किया गया कार्य उच्च श्रेणी का नहीं है या यह पाया जाता है कि अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध की कोई शर्तों की पालना नहीं की गई है तो उस दशा में कम्पनी को यह अधिकार है कि वह उचित कार्यवाही अनुबन्धकर्ता पर कर सकती है और अनुबन्ध को निरस्त करने एवं अमानत राशि को जब्त करने अधिकार भी कम्पनी को सुरक्षित है ।
- 11.2 कम्पनी को यह अधिकार है कि अगर अनुबन्धकर्ता के खराब निष्पादन या अनुबन्ध की किसी शर्त की अवहेलना करने से कम्पनी को कोई नुकसान होता है तो ऐसे नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता की अमानत राशि से एवं अनुबन्धकर्ता की बकाया राशि से किया जा सकता है । कम्पनी को यह अधिकार है कि वह अनुबन्धकर्ता की रिस्क एवं कॉस्ट पर यह कार्य किसी अन्य एजेन्सी से करा सकती है । अगर अनुबन्धकर्ता निरन्तर तीन दिन से ज्यादा तक कार्य करने में असफल रहता है तो यह कार्य अन्य एजेन्सी द्वारा कराया जा सकता है और अन्य एजेन्सी की दरें अलग पाई जाती हैं तो अन्तर की राशि अनुबन्धकर्ता द्वारा देय होगी ।

12.0 जुर्माना (Penalty) :

अनुबन्धित कार्यों को निविदा की शर्तों के अनुरूप निष्पादित नहीं किये जाने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता की जोखिम व लागत पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है । इस सम्बन्ध में जो भी राशि व्यय होगी वह अनुबन्धकर्ता से वसूल की जावेगी । निरीक्षण के दौरान कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं पाये जाने पर प्रतिदिन रु. 500/- की शास्ति लगाई जा सकेगी ।

13.0 सब लेट (Sub Letting) :

अनुबन्धकर्ता केन्टीन के कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य फर्म/व्यक्ति का सब लेट नहीं कर सकता है। इस शर्त की अवहेलना करने की स्थिति में कम्पनी प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि उपरोक्त निविदा अनुबन्धकर्ता की जोखिम व लागत पर इस कार्य को पूर्ण करवा सके। ऐसी दशा में होने वाली समस्त हानि की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी जिसकी वसूली उसकी अमानत राशि से जब्त की जा सकेगी।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

14.0 अनुबंध को निरस्त करना :

- 14.1 अगर अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है तो कम्पनी अनुबन्धकर्ता को लिखित सूचना देकर कार्य को सात दिन के अन्दर अन्दर सही करने का आदेश दे सकती है । अगर सात दिन के अन्दर भी कार्य को सही करने में अनुबन्धकर्ता असफल रहता है तो कम्पनी अनुबन्ध निरस्त करने और धरोहर/अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार रखती है । अनुबन्ध का यह निरस्तीकरण अनुबन्धकर्ता की अनुबन्ध के अन्तर्गत आने वाले उत्तरदेयता को समाप्त नहीं करता है ।
- 14.2 अनुबन्ध उस दषा में भी निरस्त किया जा सकता है अगर अनुबन्धकर्ता दिवालिया घोषित हो गया है या उसका व्यापार बन्द हो गया है ।
- 14.3 कम्पनी किसी भी समय कभी भी बिना किसी कारण बताये 15 दिन का नोटिस देकर जो उसके अन्तिम बताये गये पते पर देकर अनुबन्ध निरस्त कर सकती है । ऐसी दषा में अनुबन्धकर्ता किसी भी कम्पनसेशन की मांग कम्पनी से नहीं कर सकता है ।

15.0 भविष्य निधि (Provident Fund) :

- 15.1 इस कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी के प्रति अनुबन्धकर्ता स्वयं भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं समय समय पर संशोधित नियमों की पालना करने के लिए उत्तरदायी है, यदि नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम लागू है तो ।
- 15.2 भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार अनुबन्धकर्ता को आपने आपको रीजनल प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर (RPFC) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड करवाना होगा अगर उसने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवा रखा है तो । निविदादाता को आरपीएफसी ऑफिस से प्राप्त भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति कार्य प्रारम्भ करने से पहले कम्पनी को प्रस्तुत करनी होगी । अगर वह नहीं देता है तो अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है ।
- 15.3 अगर निविदादाता पर ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम लागू नहीं होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर (R&A) की एम्पलीकेबिलिटी के कारण कर्मचारियों के वेतन में से काटे गये भविष्य निधि व नियोक्ता का अंशदान जमा कराना है, तो वह आरएमएमएमएल के पीएफ ट्रस्ट में 1.10 प्रतिषत प्रशासनिक चार्ज सहित जमा करा सकता है । इस हेतु उसे एक शपथ पत्र एनेक्सचर-प्रथम के फॉरमेट में उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा । यह उसे तकनिकी वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
- 15.4 उसको हर मासिक बिल/अन्तिम बिल के साथ एक विवरण देना होगा जिसमें श्रमिक/कर्मचारी का नाम, अनुबन्धकर्ता द्वारा उसको दिया गया पारिश्रमिक का विवरण, राशि जो आरपीएफसी ऑफिस/ ट्रस्ट में हर कर्मचारी/श्रमिक के नाम पर जमा कराई गई है उसका विवरण देना होगा और चालान की कॉपी पिछले माह की मासिक बिलों के साथ संलग्न करनी होगी ।

16.0 न्यायिक और वैधानिक बाध्यता :

- 16.1 अनुबन्धकर्ता को कार्य वर्तमान में लागू सभी मान्य अधिनियम, नियम एवं उप नियम के अन्तर्गत करना होगा ।
- 16.2 अनुबन्धकर्ता के पास वैध श्रम लाइसेन्स की प्रति होनी चाहिए और भविष्य निधि की राशि की कटौति उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी/श्रमिक के वेतन में से करनी होगी । भविष्य निधि की कटौति एवं जमा का प्रमाण-पत्र आरएसएमएमएल को देना होगा ।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

- 16.3 अनुबन्धकर्ता सभी कर्मचारियों/श्रमिकों जिसे उसने इस कार्य हेतु लगाया है के लिए जिम्मेदार होगा और सारे इक्वीपमेन्ट जो उसने इस कार्य को करने हेतु उपयोग में लिया है के प्रति वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- 16.4 निविदाकर्ता कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कॉन्टेक्ट लेबर (Regulation & Abolition) अधिनियम 1970, मजदूर अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस अधिनियम 1965, भारतीय रेल्वे अधिनियम 1890, फेटलएक्सीडेन्ट अधिनियम 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, माइन्स अधिनियम, आरटीपीपी एक्ट, फेक्ट्री अधिनियम और अन्य केन्द्रीय और राज्य अधिनियम अथवा उप नियमों की पालना करनी होगी । अनुबन्धकर्ता सभी रिकॉर्ड रखेगा जो उपबन्ध, नियम, अधिनियम के अन्तर्गत रखने जरूरी है और जब भी इनको मांगा जायेगा तो वह इसे प्रस्तुत करेगा ।
- 16.5 अनुबन्धकर्ता सभी रिकॉर्ड मेनटेन एवं अपडेट करेगा और कंपनी द्वारा एवं स्टेच्यूरी ऑथोरिटी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करेगा ।
- 16.6 अनुबन्धकर्ता को उसके सभी दावों और उसके सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष कर्मचारियों की देनदारी के खिलाफ कंपनी को क्षतिपूर्ति रखना होगा । किसी कर्मचारी को (कंपनी कर्मचारी सहित) किसी भी प्रकार की हानि, दुर्घटना होती है तो कंपनी उसकी एवज में मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी । मुआवजे की वसूली अनुबन्धकर्ता के मासिक बिलों या अमानत राशि से वसूल होगी ।
- 16.7 अनुबन्धकर्ता द्वारा इस कार्य के लिए हर माह लगाये गये कर्मचारियों को भुगतान अगले महीने की सात तारीख को होगा ।
- 16.8 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक हेतु बनाये अधिनियम, प्रावधान की पालना अनुबन्धकर्ता को करनी होगी । मजदूर रजिस्टर मेनटेन करना होगा । साप्ताहिक अवकाश प्रदान करना होगा और सामयिक रिटर्न स्टेच्यूटरी ऑथोरिटी को भेजना होगा । समय समय पर ऑफिसर इन्चार्ज को को इसकी प्रति जांच हेतु उपलब्ध करवानी होगी ।
- 16.9 अगर अनुबन्धकर्ता अंशदान या किसी राशि के भुगतान करने में त्रुटि करता है तो कंपनी स्वयं अगर चाहे तो ऐसी राशि का भुगतान अनुबन्धकर्ता के एवज में कर सकती है और यह भुगतान अनुबन्धकर्ता के बिलों में से कटौती करके वसूली जायेगी ।
- 16.10 अनुबन्धकर्ता को श्रम लाइसेन्स की प्रति कार्य प्रारम्भ करने से पहले प्रस्तुत करनी होगी ।
- 16.11 अनुबन्धकर्ता को सभी कामगारों का बीमा कराना होगा और इसकी प्रति आरएसएमएमएल को देनी होगी ।
17. **क्षतिपूर्ति** : अनुबन्धकर्ता संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचायेगा तो उसकी भरपाई अनुबन्धकर्ता को करनी होगी ।
18. **जोखिम एवं लागत** : अनुबन्ध दायित्व निर्धारित अवधि में पूरा न करने की स्थिति में कंपनी को अनुबन्धकर्ता की अमानत राशि जब्त करने एवं अनुबन्धकर्ता के बकाया बिलों को जब्त करने का अधिकार है । कंपनी अनुबन्धकर्ता की जोखिम एवं लागत पर यह कार्य तीसरी पार्टी से करवा सकती है ।
19. **न्याय क्षेत्र** : इस अनुबंध से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर-राजस्थान होगा । विवाद को निपटाने की प्रक्रिया की समयावधि में अनुबन्धकर्ता अपने कार्य को चालू रखेगा ।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

20.0 अनुबन्ध की समाप्ति :

प्रबन्धन अनुबन्ध को एक माह का नोटिस देकर समाप्त कर सकेगा । इसके लिये अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त यदि अनुबन्धकर्ता तीन दिन तक केन्टीन में लगातार खाना इत्यादि उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबन्धन बिना कोई नोटिस दिये अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है । इस अनुबन्ध समाप्ति से यदि कम्पनी को कोई हानि होती है तो अनुबन्धकर्ता के किसी भी बकाया बिल अथवा अमानत राशि में से समायोजन करने के लिये प्रबन्धन स्वतंत्र होगा ।

21.0 अपील

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत यदि कोई भी बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला उपापन संस्थान के किसी भी निर्णय, कार्यवाही या लोप, जैसी भी स्थिति हो, से किसी भी रूप में असंतुष्ट या खफा है, तो वह निर्धारित फीस जमा करवाकर, दस दिन के भीतर निर्धारित प्रथम या द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी को उक्त निर्णय, कार्यवाही या लोप का स्पष्ट उल्लेख करते हुए फार्म नं. 1 (देखें नियम 83) – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 की मेमोरेण्डम ऑफ अपील के तहत अपील कर सकता है ।

अनुबन्धकर्ता के हस्ताक्षर

नाम _____
पता _____



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

अनुभाग तृतीय

1.0 रजिस्टर्ड कार्यालय कम रेस्ट हाउस, जयपुर :

सी-89-90, जन पथ लालकोठी स्कीम जयपुर

2.0 कार्य विवरण :

2.1 रजिस्टर्ड आफिस कम रेस्ट हाउस जयपुर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु चाय काफी, एवं आने वाले अतिथियों के लिए चाय काफी, ब्रेक फास्ट, लन्च एवं डिनर बनाने हेतु दो कुक उपलब्ध करवाने के साथ चाय काफी, ब्रेक फास्ट, लन्च एवं डिनर उपलब्ध कराने हेतु रेट कॉन्ट्रैक्ट

2.2 भोजन आपूर्ति का समय :

ब्रेक-फास्ट : प्रातः 7 से 10 बजे तक

दोपहर का भोजन : प्रातः 12.30 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक

रात्रि का भोजन(डिनर) : रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे तक

3.0 कार्य अवधि :

कार्य आदेश जारी करने की तिथि से 24 माह (2 वर्ष) तक 15 दिनों की अवधि सहित जो की सफल निविदादाता द्वारा काम शुरू करने के लिए होगी । कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर कम्पनी कार्यावधि को अगले एक वर्ष तक उसी दर एवं शर्तों पर बढ़ाने के लिये स्वतंत्र रहेगी ।

4.0 कर एवं दरें :

- I. सम्पूर्ण अनुबन्ध अवधि के दौरान दरें अपरिवर्तनीय रहेगी ।
- II. दरों में सभी प्रकार के खर्चे जैसे मसाले, ईंधन, कच्ची खाद्य सामग्री, तेल, दालें सब्जियाँ, बर्तन गैस, चुल्हा एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते इत्यादि सम्मिलित होंगे ।
- III. सभी वैधानिक कर अनुबन्धकर्ता को वहन करने होंगे । आरएसएमएम लिमिटेड वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के अतिरिक्त किसी प्रकार के खर्चों का पुनर्भुगतान नहीं करेगा ।
- IV. अनुबन्ध की अवधि के दौरान टेक्स की वर्तमान दरों में परिवर्तन होने पर एवं कोई भी नया कर लगाये जाने पर/वापस लिये जाने पर, उसका भुगतान/कटौती कम्पनी द्वारा किया जायेगा । ऐसा भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा इस अनुबन्ध पर देय टेक्स का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जावेगा ।
- V. निविदाकर्ता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवाकर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो कि निविदा की अन्तिम तिथि तक लागू हो । प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरा स्थिर रहेगी एवं निविदा में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी ।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

- VI. वस्तु एवं सेवाकर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कॉन्ट्रेक्टर की रहेगी। इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट आरएसएमएमएल को मिले यह सुनिश्चित करना भी कॉन्ट्रेक्टर का कार्य होगा।
- VII. यदि किसी कारणवश आरएसएमएमएल को क्रेडिट नहीं मिलती है तो कंपनी कॉन्ट्रेक्टर को देय बिल/सिक्वोरिटी डिपोजिट में से यह क्रेडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
- VIII. कार्य के लिए देय भुगतान GST Return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) कारण पेनल्टी लगने की परिस्थिति में देय राशि का भुगतान कॉन्ट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कंपनी यह राशि कॉन्ट्रेक्टर को देय राशि में से कटौती/समायोजित कर सकती है।
- IX. निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार की ड्यूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से सम्बन्धित हो जोड़कर भरनी होगी। इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शाई गई, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है।
- X. अगर निविदा भरने के बाद कर एवं ड्यूटी बढ़ती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नई इम्पोज की जाती है और अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं ड्यूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं ड्यूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबंधकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे। कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है।

6.0 कम्पनी द्वारा प्रदत्त सुविधाएं :

- i. केन्टीन के संचालन हेतु कुर्सियां, मेज, किचन क्षेत्र, स्टोर, पानी सुविधा।
- ii. अनुबंध की अवधि के दौरान केन्टीन क्षेत्र में मेज, कुर्सियाँ, पंखें, ट्यूबलाईट इत्यादि की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी व इनमें किसी प्रकार की टूट-फूट/खराबी होने पर अनुबंधकर्ता के बिल में से उक्त सामान की प्रचलित दर के अनुसार उतनी राशि की कटौती कर ली जाएगी।
- iii. बिजली, पानी इत्यादि की पूर्ति कम्पनी द्वारा की जाएगी।
- iv. अतिथियों के कमरों एवं कार्यालय में चाय नाश्ता, खाना लाने एवं ले जाने एवं बर्तन साफ करने की व्यवस्था अनुबंधकर्ता/कुक को स्वयं के द्वारा करवानी होगी तथा बाजार से सब्जियां एवं अन्य सामान भी कुक को स्वयं के वाहन द्वारा लाना होगा जिसका खर्चा अनुबंधकर्ता को ही वहन करना होगा।
- v. अनुबंध की समाप्ति पर अनुबंधकर्ता को कम्पनी की ओर से प्रदत्त सभी, मेज, कुर्सियाँ, पंखें, इत्यादि अधिकृत अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे। उपरोक्त सामान यदि गुम हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उससे हुई हानि की पूर्ति प्रचलित बाजार दरों पर अनुबंधकर्ता के बिल/अमानत राशि में से कटौती/समायोजित करके की जाएगी।

7.0 अनुबंधकर्ता के सामान्य दायित्व :

- i. दोनों कर्मचारी (कुक) को निविदा अवधि के दौरान पूरे माह अपनी पारी (प्रातः 6 से दोपहर 2 एवं दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे) अनुसार उपस्थित होकर कार्य करना होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी अवकाश देय नहीं होगा। कार्यालय पर खाद्य सामग्री, गैस की टंकी, दुग्ध इत्यादि लाने हेतु अनुबंधकर्ता स्वयं अपनी व्यवस्था करेगा व कम्पनी द्वारा इस हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

- ii. नियोजित कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, सुरक्षा, अनुषासन इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
- iii. बर्तनों, फर्नीचर, केन्टीन की सफाई, सुरक्षा इत्यादि रखने हेतु समुचित प्रबंध करना होगा। सफाई सम्बन्धित सामग्री की व्यवस्था अनुबंधकर्ता को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
- iv. केन्टीन एक निश्चित समय सारणी के अनुसार संचालित होगी, जिसकी सूचना अधिकृत अधिकारी द्वारा दी जाएगी। भोजन इत्यादि सही समय पर उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की ही होगी। निर्धारित समय के अतिरिक्त केन्टीन में कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे इसकी जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
- v. केन्टीन के कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सुरक्षा सफाई इत्यादि के साथ भोजन इत्यादि तैयार करके कर्मचारियों को दिया जा रहा है या नहीं इसकी पूर्ण निगरानी अनुबंधकर्ता/अधिकृत सुपरवाइजर द्वारा की जाएगी।
- vi. बर्तन अनुबंधकर्ता/कुक को साफ सुथरे रखने होंगे।
- vii. अनुबंधकर्ता अपने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों के कृत्यों के उत्तरदायी होगा।
- viii. कच्ची खाद्य सामग्री एगमार्क (Agmark) बासमती चावल इत्यादि उत्तम गुणवत्ता की परिशिष्ट-1 अ के अनुसार होनी अनिवार्य है। अनुबंधकर्ता इसका विशेष ध्यान रखेगा। खाद्य सामग्री पूर्ण रूप से साफ करवाकर साफ सुथरी जगह पर रखेगा। केन्टीन प्रबन्धन समिति या अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी इस सामग्री की जांच केन्टीन में की जा सकती है व परिशिष्ट-1 अ के अनुसार नहीं पाये जाने पर अनुबंधकर्ता को तुरन्त इस सामग्री को बदलना होगा अन्यथा प्रबन्धन अनुबंधकर्ता की जोखिम व लागत पर उक्त सामग्री की व्यवस्था करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा।
- ix. केन्टीन में प्रतिदिन पोंछा, फिनाईल इत्यादि लगाकर पूर्ण सफाई रखनी होगी। साथ ही उनको रखने के लिए जो कमरा दिया जायेगा उसको भी पूर्ण रूप से साफ रखना होगा। अनुबंधकर्ता को सप्ताह में एक बार समस्त बर्तनों की उबलते हुए पानी में डालकर आरोग्यवर्धन हेतु विशेष रूप से सफाई करनी होगी।
- x. अनुबंधकर्ता अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी वैधानिक नियम व उप नियमों की पालना करेगा। सभी नियम व उप नियम जो कि वर्तमान में लागू हैं एवं भविष्य में लागू किये जाएँ, की भी अनुपालना अनुबंधकर्ता का दायित्व है।
- xi. अनुबंधकर्ता अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि कामगारों और कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कर्मचारियों के किसी भी नियम एवं उप नियम के तहत देय होगी से कम्पनी को मुक्त रखेगा।
- xii. अनुबंधकर्ता खान अधिनियम 1952, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस एक्ट 1966, ग्रेच्युटी एक्ट 1971, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय रेट अधिनियम 1810, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट 1970, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, एवं इन समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये उपबन्धों, नियमों, उप नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे।
- xiii. सफल निविदाकर्ता कर्मचारियों से संबंधित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अन्तर्गत दिये गये नियमों, उप नियमों समय समय पर किये गये



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

- xi.** अनुबंध लागू होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत अपना अर्पण जमा कराने का दायित्व होगा।
- xv.** प्राकृतिक विपदा तथा अपरिहार्य कारणों से केन्टीन का उपयोग नहीं होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा अनुबंधकर्ता को ऐसी अवधि का कोई भुगतान/क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

8.0 केन्टीन में नियोजित कर्मचारी :

- i.** अनुबंधकर्ता द्वारा केन्टीन संचालन हेतु नियोजित कर्मचारियों (कुक) की सूचना कार्य आरंभ करने से पूर्व अधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी।
- ii.** अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारी (कुक) व्यस्क, स्वस्थ विशेषतः चर्म रोग या ऐसी कोई स्पर्श संक्रमण वाली बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य अधिकारी का पेश करना होगा।
- iii.** सभी नियुक्त कर्मचारी(कुक) तंदुरुस्त, मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित व साफ सुथरी वर्दी में होने आवश्यक है।
- iv.** सामान्यतः कर्मचारियों(कुक) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु परिवर्तन करने पर उसकी सूचना लिखित में देनी अनिवार्य होगी।
- v.** यदि कोई भी कर्मचारी अनुशासनहीनता या कम्पनी कार्य में दखलअंदाजी या किसी प्रकार की हानि करता पाया गया तो अनुबंधकर्ता को ऐसे कर्मचारी(कुक) को तुरन्त हटाना होगा।
- vi.** केन्टीन में नियुक्त कोई भी कर्मचारी (कुक) बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, शराब अथवा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। ऐसे पदार्थों का सेवन करते हुए पाये जाने पर ऐसे कर्मचारी को तुरन्त हटाना होगा। इससे होने वाले समस्त नुकसान की भरपाई अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से की जाएगी।
- vii.** कर्मचारियों को वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान अनुबंधकर्ता द्वारा देय होगा। वेतन भुगतान से संबंधित समस्त रिकॉर्ड प्रतिमाह अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। अगर अनुबंधकर्ता अपने कर्मचारियों (कुक) का भुगतान नहीं करता है तो कम्पनी को अधिकार होगा कि वह अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों अथवा अमानत राशि में से कटौती करके ऐसे कर्मचारियों को देय मासिक वेतन का भुगतान का अधिकार प्रबन्धन को है।
- viii.** कर्मचारियों को साबुन इत्यादि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अनुबंधकर्ता द्वारा की जाएगी।
- ix.** यदि अधिकृत अधिकारी केन्टीन प्रबन्धन समिति द्वारा आपके किसी भी स्टाफ कर्मचारियों (कुक) की कार्यक्षमता व व्यवहार पर लिखित में शिकायत प्राप्त होती है तो आपको उसे तुरन्त हटा कर उसके स्थान पर दूसरे स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
- x.** केन्टीन में नियुक्त दोनों कुक बर्तनों की सफाई से लेकर आदेशानुसार रेस्ट हाउस के विभिन्न स्थलों, कमरों में चाय/कॉफी/नाश्ता/भोजन परोसने का कार्य भी करेंगे।



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.

9.0 केन्टीन का उपयोग :

केन्टीन का उपयोग पूर्णतः आर.एस.एम.एम.लि. के कर्मचारी अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित व अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति दिये गये व्यक्ति ही कर सकेंगे।

10.0 मीनू:

क्र.सं.	आईटम
1	सादा चाय (100 मि0ली0)
2	कॉफी (100 मि0ली0)
3	दूध (150 मि0ली0) बोनवीटा के साथ
4	मीठी लस्सी (200 मि0ली0)
5	सुबह का नाश्ता – दो सादा पराठा, दही एवं अचार के साथ अथवा चार ब्रेड मक्खन एवं मौसमी फल के साथ, अथवा चार ब्रेड ऑमलेट एवं सॉस के साथ अथवा पांच इडली सांभर चटनी के साथ अथवा पुडी सब्जी अचार के साथ अथवा पौहा मौसमी फल के साथ।
6	लन्च अथवा डिनर (शाकाहारी) – चपाती, चावल, दाल, दो मौसमी सब्जी, सलाद, पापड़, अचार, दही या छाछ अथवा चपाती, चावल, दाल, वैज पनीर के साथ एक मौसमी सब्जी, सलाद, पापड़, अचार एवं दही या छाछ अथवा चपाती, चावल, सलाद, पापड़, अचार एवं दही या छाछ एवं अन्डा करी (दो अन्डे से बनी हुई)
7	आईस क्रीम, ठंडा पेय, मिठाई (मूल किमतानुसार)

उपरोक्त के लिए समस्त कच्ची सामग्री अनुबंधकर्ता द्वारा ही कुक को उपलब्ध करवाई जावेगी।

11.0 जुर्माना (Penalty) :

समय की पाबंदी इस अनुबंध की मुख्य आवश्यकता है अतः निर्धारित समय पर कर्मचारियों/अधिकारियों/अतिथियों को भोजन इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये जाने पर नियमानुसार दण्ड/जुर्माना लगाने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा :

- 30 मिनट देर से खाना उपलब्ध करने पर रु. 200/- प्रतिदिन।
- निर्धारित अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना रुपये 200/- प्रतिदिन।
- घटिया किस्म की खाद्य सामग्री के प्रयोग पर जुर्माना रुपये 500/- प्रतिदिन।
- यदि खाद्य सामग्री मीनू के अनुसार नहीं प्रदान कराये जाने पर रुपये 100/- प्रति



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

- v. यदि भोजन व्यवस्था निर्धारित शुरुआती समय के एक घंटे देर से भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो प्रबन्धन अनुबंधकर्ता की जोखिम एवं लागत पर वैकल्पिक व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा। लागत व्यय तथा इसके अतिरिक्त रुपये 500/- जुर्माना वसूल किया जायेगा।
- vi. कैंटीन में नियमानुसार स्टॉफ नहीं होने पर जुर्माना रु. 500/- प्रतिदिन होगा।
- vii. सन्तोषजनक कार्य न करने की स्थिति में/कार्य न करने की दशाओं में/कार्य में देरी करने की स्थिति में कम्पनी अपने अधिकार/विवेक/मर्जी से किसी और सेवाप्रदाता से उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त, अनुबंधकर्ता के खर्चे एवं जोखिम पर कार्य करवाने का अधिकार रखती है एवं ऐसी स्थिति में कम्पनी अनुबंधकर्ता से अन्तर की राशि, जो कि अन्य सेवाप्रदाता उपलब्ध कराने में लगी है, को प्राप्त करने का अधिकार रखती है एवं अमानत राशि में से कटौती का अधिकार रखती है।
- viii. जुर्माना देने से/कम्पनी द्वारा कटौती करने परिस्थिति में भी अनुबंधकर्ता को अनुबंध के दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकेगा एवं अनुबंध के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा।

12.0 बिलों का भुगतान :

- i. अनुबंधकर्ता को कर्मचारियों, अधिकारियों व कम्पनी गेस्ट के लिए बनाये गए डाइट रजिस्टर में नियमित रूप से कैंटीन सुपरवाइजर से हस्ताक्षर कराना करना अनिवार्य होगा। जिसे अगले कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे अधिकृत अधिकारी से सत्यापित करना आवश्यक होगा। कार्य की मात्रा का मूल्यांकन उपरोक्त रजिस्टर ही किया जावेगा जो कि भुगतान का आधार बनेगा व इसकी मात्रा के अनुसार मासिक बिल का भुगतान ठेके की दर से किया जावेगा।
- ii. अनुबंधकर्ता अपना मासिक बिल प्रत्येक माह की 7 तारीख तक तीन प्रतियों में प्रतिदिन की विवरण तालिकाओं के सारांश व डाइट रजिस्टर के साथ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- iii. कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रत्येक बिल के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में देय वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान कर दिया है एवं उस अवधि का टैक्स रिटर्न जमा करवा दिया गया है।
- iv. अनुबंधकर्ता द्वारा प्राप्त मासिक बिलों का भुगतान सामान्यतः बिल प्राप्ति की दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर वैधानिक अथवा अन्य कटौतियों (यदि कोई हो) करने के बाद आरटीजीएस/चैक के द्वारा दिया जायेगा।
- v. प्रत्येक माह के बिल का भुगतान प्राप्त करने के बाद यदि कटौति राशि के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो भुगतान प्राप्त करने के सात दिन की अवधि में अधिकृत अधिकारी करे लिखित रूप से अवगत कराना होगा अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि अनुबंधकर्ता को बिल के संबंधित की गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- vi. ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों का भुगतान स्टेटमेन्ट (बैंक द्वारा) और भविष्यनिधि चालान मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13.0 संविदाकर्ता द्वारा अपील करना :

यदि अनुबंधकर्ता स्थानीय प्रबंधन द्वारा दिये गए निर्णय या कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट नहीं होता है तो एनेक्सर-सी के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन संलग्न Form No.1 (See Rule 83) – Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है।

**RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED**

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur**Registered Office Cum Rest House**
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.**घोषणा-पत्र**

मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर स्वयं/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र के साथ किसी प्रकार की शर्त इत्यादि संलग्न नहीं की है एवं ऐसी किसी शर्त के पाये जाने पर उसे वापस लिया माना जावे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक

निविदाकर्ता का नाम -----

पता -----

टेलीफोन/मॉबाईल नम्बर-----



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

प्रारूप परिशिष्ट-1

E-TENDER NO. RSMM /CO/GGM (CONT)/Cont-02/23-24 dated 05.04.2023

1.	निविदादाता का नाम एवं पता	
2.	संबंधित व्यक्ति का नाम, दूरभाष / मॉबइल / फैक्स नम्बर / ईमेल	
3.	व्यक्तिगत / फर्म / कम्पनी	
4.	समामेलन की तिथि / साझेदारी संलेख / समामेलन का सर्टिफिकेट	
5.	पार्टनर / संचालकों के नाम	
6.	बैंकर का नाम एवं पता	
7.	पैन कार्ड संख्या (PAN No.)	
8.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) रजि.संख्या	
9.	पी.एफ. खाता संख्या	
10.	निविदादाता अन्य कोई व्यवसाय करता है तो उसका विवरण	
11.	टर्नओवर हेतु दस्तावेज	2019-20 2020-21 2021-22
12.	अन्य	
13.	आरटीजीएस हेतु बैंक का विवरण बैंक का नाम एवं पता	
14.	बैंक खाता संख्या	
15.	बैंक शाखा संख्या	
16.	खाता प्रकार (Saving/Current/ CC/any other)	
17.	IFSC Code	

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

**RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED**

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.**प्रारूप परिशिष्ट -1 अ****E-TENDER NO. RSMM /CO/GGM (CONT)/Cont-02/23-24 dated 05.04.2023**

निम्नलिखित एगमार्क की खाद्य सामग्री प्रयुक्त करनी होगी :

क्रम सं.	समग्री	ब्रान्ड का नाम
1	गेहूँ का आटा	एगमार्क
2	चवल (साबुत)	बासमती
3	अचार	टीलूराम, निलोन्स
4	दालें	उत्तम गुणवत्ता की
5	पापड़	बीकाजी / अग्रवाल / हल्दीराम
6	मूंगफली तेल डबल फिल्टर एगमार्क	तिलमसंघ / धारा / पोस्टमेन / पोस्टलाईन
7	नमक आयोडाइज्ड	टाटा / केप्टीन कुक
8	मसाला मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले एगमार्क	एम डी एच / एवरेस्ट / गोल्डी एगमार्क
9	हरी सब्जी	ताजा एवं उत्तम गुणवत्ता की मौसम के अनुसार हरी सब्जी जैसे पालक, भिन्डी, तौरु, पत्ता गोभी, फूल गोभी, करेला, टिन्डे, ककड़ी, लौकी
10	दूध	सरस डेयरी
11	दही	जमा होना चाहिये तथा खट्टा न हो।

नोट :- मीनू में मौसम के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा परिवर्तन किया जाना संभव है। उपरोक्त सामग्री की खरीद अधिकृत अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित की उपस्थिति में करना आवश्यक होगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर
निविदाकर्ता का नाम व पता



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

प्रारूप परिशिष्ट-2

(द्वितीय भाग) दर प्रस्ताव (Rate Part-BOQ)

(To be submitted online only in the prescribed BOQ format available for downloading on

<https://eproc.rajasthan.gov.in>)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को ऑनलाईन BOQ में ही भरना होगा निम्न प्रारूप मात्र सूचना हेतु दर्शाया गया है।

निविदाकर्ता का नाम व पता:—.....

कार्य :- रजिस्टर्ड कार्यालय कम रेस्ट हाउस के कर्मचारियों/अधिकारियों/अतिथियों को चाय/भोजन उपलब्ध कराना।

क्रम संख्या	विवरण	निर्धारित दर (रूपये)
1	सादा चाय (100 मि०ली०)	10/-
2	काँफी (100 मि०ली०)	15/-
3	दूध (150 मि०ली०) बोनवीटा के साथ	20/-
4	मीठी लस्सी (200 मि०ली०)	15/-
5	सुबह का नाश्ता – दो सादा पराठा, दही एवं अचार के साथ अथवा चार ब्रेड मक्खन एवं मौसमी फल के साथ, अथवा चार ब्रेड ऑमलेट एवं सॉस के साथ अथवा पांच इडली सांभर चटनी के साथ अथवा पुड़ी सब्जी अचार के साथ अथवा पौहा मौसमी फल के साथ	75/-
6	लन्च अथवा डिनर (शाकाहारी) – चपाती, चावल, दाल, दो मौसमी सब्जी, सलाद, पापड़, अचार, दही या छाछ	180/-
	चपाती, चावल, दाल, वैज पनीर के साथ एक मौसमी सब्जी, सलाद, पापड़, अचार एवं दही या छाछ	180/-
	चपाती, चावल, सलाद, पापड़, अचार एवं दही या छाछ एवं अन्डा करी (दो अन्डे से बनी हुई)	180/-

मैं उपरोक्त कार्य, निर्धारित दर से % कम ()/ज्यादा () पर करने को तैयार हूँ। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अतिरिक्त ()/सम्मिलित () होगी। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की दर % होगी।

Rates to be quoted online on
www.eproc.rajasthan.gov.in

निविदाकर्ता / फर्म का नाम मय मोहर

नाम.....

मो. न.:.....

पता :.....


RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
 4-Meera Marg
 Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

नोट :

1. अनुबंधक कार्य के निष्पादन करने के लिए अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये सभी इन्सीडेण्टल/कन्टीजेन्ट कार्य की लागत अनुबंधकर्ता को देनी पड़ेगी। इसके लिए अनुबंधकर्ता को अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. निविदाकर्ता को निविदा निर्धारित रूप में देनी पड़ेगी जो दर निविदादाता द्वारा भरी जायेगी उसमें सभी ड्यूटीज शामिल होंगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवाकर शामिल नहीं होगा।
3. उपरोक्त कार्यों के लिए समस्त कच्ची सामग्री एवं बनाने का सामान अनुबंधकर्ता द्वारा ही कुक को उपलब्ध करवाई जावेगी। जिस बाबत प्रबन्धन कोई भुगतान नहीं करेगा।
4. जी एस टी अतिरिक्त देय है।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर एवं दिनांक

दिनांक.....

नाम.....

पता.....

..



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

प्रारूप परिशिष्ट-3

(TO BE TYPED ON THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF
Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I.....S/o Shri.....aged.....year, resident
of.....on behalf of the tenderer i.e.
M/s hereby undertake oath and state as
under:-

1. That I have submitted a tender for
2. That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.
3. That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).
4. That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I/We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

प्रारूप परिशिष्ट 4

AFFIDAVIT

(on non judicial stamp paper worth Rs. 50/-)

E-TENDER NO. RSMM /CO/GGM (CONT)/Cont-02/23-24 dated 05.04.2023

Name of Tenderer.....

I,.....S/o Shri.....aged.....Years, resident
of..... on behalf of the tenderer i.e.
M/s..... hereby undertake oath and state
as under:-

- (1) I / We are not having or had any litigation with RSMML/any other company in relation to the work. In case of litigation with RSMML or any other company, I/we hereby undertake that such litigation will not restrict me/us in smooth execution of tendered work.
- (2) I/We have not been banned /suspended /de-listed by RSMML.
- (3) I/We declare that I/We have not mentioned any exception /deviation of the tender conditions in our offer
- (4) I/We declare that price bid is in prescribed performa & no conditions are attached to it. Even if any conditions /s found, those would be ignored at our risk & cost.
- (5) That we are registered under MSMED Act & registration number of the firm is (Copy enclosed) or that we are not registered under MSMED Act.
- (6) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the purpose and contents of all the terms and conditions of this contract, nature, quantum, contract period and scope of work of the tender document and all terms& conditions of this tender and these are acceptable to me/us.
- (7) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the provision of Rajasthan Transparency in public procurement Rules 2013 and all terms& conditions mentioned therein are acceptable to me/us
- (8) I hereby declare that as on date no default has been made by us towards payment of GST and all returns up to the last date of submission of bid have been filled by us.

Signature of Tenderer (s)

(Authorised Signatory)

With seal

Place: :.....

Date:.....

Note: Original Notarized affidavit shall be sent to office of GGM (Contract), RSMML, 4- Meera Marg, Udaipur (Raj.)-313001 along with tender fees, processing fees and EMD.


RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
 4-Meera Marg
 Udaipur

Registered Office Cum Rest House
 C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.
प्रारूप परिशिष्ट 5
E-TENDER NO. RSMM /CO/GGM (CONT)/Cont-02/23-24 dated 05.04.2023
EXCEPTIONS AND DEVIATION

(अपवाद और विचलन)

निविदादाता का नाम

Tenderer may stipulate here exceptions and deviations to the tender conditions, if considered unavoidable.

निविदाकर्ता निविदा शर्तों के लिए यहाँ अपवाद और विचलन निर्धारित कर सकते हैं, यदि अपरिहार्य है तो

No. (संख्या)	Page No. of tender document (निविदा दस्तावेज की पृष्ठ संख्या)	Clause No. of tender documents (निविदा दस्तावेज की खंड सं)	Subject (विषय)	Deviation (अपवाद)

 अनुबन्धकर्ता के सील
 सहित हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

दिनांक.....



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.

ANNEXURE-A

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a contractor in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/contractor for the contract.



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.

ANNEXURE-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted For procurement in response to Notice Inviting Bids I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office
4-Meera Marg
Udaipur

Registered Office Cum Rest House
C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme
Jaipur.

Annexure-C

The designation and address of the First Appellate Authority is –

**Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Mines & Petroleum,
Secretariat,
Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

**Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Finance,
Secretariat,
Jaipur**

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procumbent;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of
Before the(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of
appeal :
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:
.....

Place

Date

Appellant's Signature



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.

PROFORMA OF GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

(To be issued by a Public Sector /ICICI/HDFC/Axis Bank having its Branch office at Udaipur on appropriate value of non-judicial stamp paper of 0.1% BG value or Rs. /- whichever is higher) B.G. _____ Dated _____

This Deed of Guarantee made between _____ a Public Sector /ICICI/HDFC/SBI/Axis Bank, having its registered office at _____ and its headoffice at _____ and wherever the context so required include its successors and assignees (hereinafter called the Surety/Bank) AND Rajasthan State Mines and Minerals Limited, a company incorporated and registered under Indian companies Act, 1956, having its registered office at C-89/90 Lal Kothi Scheme, Janpath, Jaipur and Corporate office at 4 Meera Marg, Udaipur and wherever its context so required includes its successors and assignees (hereinafter called 'the company').

Whereas the Company having agreed to exempt M/s. _____ a company/partnership firm _____ (address of registered/H.O.) where ever the context so require includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Contractor') from the demand under the terms and conditions of letter of acceptance no. _____ dated _____ issued in favour of the Contractor and agreement dated _____ entered into between RSMML and M/s. _____ (Contractor), hereinafter called 'the said letter of acceptance /agreement' which expression shall also include any amendment, modification or variations thereof made in accordance with the provision thereof, of cash security deposit for the due fulfilment by the said letter of acceptance /agreement on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs. _____ (Rs. _____) being equivalent to _____ % of Contract value of Rs. _____.

Now this deed witnesseth that in consideration of said bank having agreed on the request of the Contractor to stand as surety for payment of Rs. _____ as security deposit to the company subject to the following conditions.

1. We, _____ (Bank) do hereby undertake to pay to the company as amount not exceeding Rs. _____ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said contractor of any of the terms and/or conditions contained in the Letter of Acceptance /Agreement The decision of the Company, as to any such breach having been committed and loss/damage suffered to shall be absolute and binding on us.

2. We, _____ (bank) do hereby undertake without any reference to the Contractor or any other person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the Company and the Contractor before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the Company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the Company by reason of any breach by the said contractor of any of the terms and condition contained in the said Letter of Acceptance /agreement by reason of the said contractor's failure to perform the convenants



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House

C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme

Jaipur.

contained in said letter of acceptance /agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs._____.

3. We, _____(bank) further agree that the guarantee herein above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the company under or by virtue of the agreement have been fully paid and its claim/s satisfied or discharged or till the company certifies that the terms and the conditions of the said Letter of Acceptance /agreement have been fully and properly carried out by the said contractor and accordingly discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before _____(scheduled completion date, plus six

4. In order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we(bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Contractor hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of suretyship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Contractor and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the contractor. Any letter of demand delivered at the bank's above branch/divisional office or Udaipur branch office under the signatures of the company's Financial Advisor and/or Head of SBU & PC - lignite or any of the Directors shall be deemed to be sufficient demand under this guarantee.

5. We, _____(bank) further agree that the company shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Letter of Acceptance /agreement or to extend time of performance by the said Contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Company against the said Contractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Letter of Acceptance /Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said contractor or for any forbearance act, or omissions on the part of the company or any indulgence of the Company to the said Contractor or by any such matter or things whatsoever which under the law relating to the sureties would but for this provisions have effect of so relieving us.

6. This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the contractor or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the contractor nor shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or therewith but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment or amount not exceeding Rs.

_____ is made by the Bank.

**RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED**

(A Government of Rajasthan Enterprise)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Office

4-Meera Marg

Udaipur

Registered Office Cum Rest House**C-89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme****Jaipur.**

7. The guarantee will not be discharged or affected if the Company holds/obtain any other security/guarantee/promissory note from any person and/or the contractor and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.

8. We, _____ (Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.

9. The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under power of Attorney dated _____ granted to him by the bank.

10. For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Udaipur courts in the state of Rajasthan alone shall have jurisdiction.

IN WITNESSETH I, HEREBY _____ SON OF
_____ (designation) _____ (branch) constituted attorney of the said bank have set my signatures and bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the state of _____ executed at
_____ this the _____ day of _____ 2022.